



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235808
CG-DL-E-17052022-235808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2147]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944

No. 2147]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

का.आ. 2262(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4341(अ) दिनांक 02 सितम्बर 2021 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3991 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील—बागोड़ा, जिला— जालौर की भूमि में राजस्थान राज्य में HRRL स्पर लाइन के अन्तर्गत मेहसाना—भटिण्डा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के (SV-01) जालौर से HRRL रिफाइनरी, बाड़मेर तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें “MBPL (SV-01) जालौर से HRRL स्पर लाइन परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 08 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-बागोडा		जिला-जालौर		राज्य-राजस्थान	
गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल			
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नवापुरा ध्वेचा	24	00	37	40	
	23	00	16	88	
	17	00	32	49	
	16	00	29	73	
	242	00	25	48	
	241	00	18	62	
	245	00	10	53	
	246	00	20	08	
	244	00	28	03	
	250	00	09	75	
	249	00	01	85	
	286	00	64	52	
	285	00	15	70	
	284	00	16	35	
	283	00	18	72	
	275	00	48	38	
	274	00	07	91	
	517/273	00	08	85	
	272	00	42	75	
	589/272	00	01	47	
	590/272	00	38	97	
	271	00	42	87	
	कुल	05	37	33	
नांदिया	645	00	03	59	
	644	00	06	85	
	642	00	16	48	
	641	00	66	44	
	608	00	01	62	
	133	00	30	34	

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	134	00	03	64
	132	00	12	67
	136	00	07	21
	130	00	38	17
	125	00	08	42
	123/1162	00	18	96
	108 1438/108	00	61	00
	109	00	16	23
	107	00	46	26
	1276/112	00	20	24
	1281/106	00	18	93
	1274/99	00	29	79
	99	00	38	13
	कुल	04	44	97
सोबड़ावास	583	00	08	51
	584	00	10	61
	585	00	12	26
	586	00	13	58
	587	00	13	16
	588	00	12	25
	589	00	14	74
	590	00	10	41
	591	00	09	00
	592	00	07	56
	579	00	08	57
	578	00	08	05
	593	00	09	58
	577	00	12	19
	576	00	12	16
	598	00	07	59
	575	00	12	90
	574	00	13	23
	573	00	18	21
	572	00	15	85
	571	00	17	14
	538	00	13	59
	564	00	02	43
	570	00	03	55
	537	00	50	53
	533	00	04	22
	530	00	22	23
	529	00	11	30

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	528	00	12	97
	527	00	16	34
	525	00	23	22
	523	00	13	51
	522	00	17	09
	518	00	16	42
	520	00	03	63
	519	00	08	49
	515	00	01	73
	511	00	11	91
	512	00	69	36
	461	00	03	78
	445	00	12	83
	444	00	05	07
	438	00	16	05
	440	00	17	42
	435	00	26	72
	434	00	20	26
	452	00	20	74
	431	00	00	20
	426	00	09	83
	425	00	10	36
	421	00	19	80
	423	00	17	54
	417	00	00	88
	415	00	02	46
	411	00	13	54
	413	00	01	94
	409	00	69	90
	404	00	02	59
	1	00	12	71
	3	00	15	51
	कुल	08	50	20
बिजलिया	448	00	20	50
	447	00	43	94
	444	00	08	00
	445	00	27	29
	450	00	20	90
	451	00	52	24
	575/574	00	00	20
	577/576	00	19	66
	432	00	01	09
	398	00	56	90

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	401	00	53	07
	405	00	73	11
	403	00	03	57
	364	00	01	34
	360	00	24	46
	358	00	16	36
	347	00	05	99
	163	00	76	45
	160	00	08	20
	164	00	02	74
	159	00	38	02
	567/159	00	19	46
	195	00	08	40
	155	00	21	01
	154	00	13	53
	153	00	12	18
	152	00	10	93
	कुल	06	39	54
मैया की ढाणी	470	00	36	46
	1053/468	00	01	05
	469	00	23	16
	464	00	17	64
	465	00	22	04
	461	00	10	99
	1036/466	00	18	06
	980/466	00	01	29
	1037/466	00	01	26
	1113/457	00	00	22
	1114/457	00	02	31
	460	00	08	16
	978/460	00	02	58
	458	00	08	61
	970/458	00	02	57
	361	00	11	43
	1068/362	00	15	38
	1069/362	00	01	02
	363	00	08	83
	364	00	08	55
	365	00	14	00
	366	00	14	64
	368	00	14	32
	1093/369	00	45	99
	370	00	25	29

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	425	00	01	54
	424	00	08	86
	981/424	00	06	33
	371	00	00	10
	423	00	10	84
	422	00	11	13
	421	00	10	83
	416	00	18	04
	417	00	10	51
	1076/404	00	07	93
	1077/404	00	20	70
	19	00	01	32
	20	00	06	15
	22	00	00	30
	21	00	18	83
	12	00	12	41
	27	00	16	67
	28	00	20	78
	29	00	34	80
	992/29	00	01	24
	31	00	29	61
	38	00	77	33
	9	00	00	80
	8	00	20	83
	5	00	22	25
	1	00	51	91
	कुल	07	37	89

[फा. सं. एल-14014/53/2021-जीपी-II (ई-42411)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2262(E).—Whereas by the notification S.O. No. 4341(E) dated 02.09.2021 of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 3991 dated 20.10.2021, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Bagoda, District Jalore in Rajasthan State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas from SV Station (Jalore) of Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network to HRRL Refinery (Barmer), a pipeline namely HRRL Refinery Spur Line should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL).

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 08.02.21

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) free from all encumbrances.

GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL -BAGODA

DISTRICT-JALORE

STATE- RAJASTHAN

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAVAPURA DHWECHA	24	00	37	40
	23	00	16	88
	17	00	32	49
	16	00	29	73
	242	00	25	48
	241	00	18	62
	245	00	10	53
	246	00	20	08
	244	00	28	03
	250	00	09	75
	249	00	01	85
	286	00	64	52
	285	00	15	70
	284	00	16	35
	283	00	18	72
	275	00	48	38
	274	00	07	91
	517/273	00	08	85
	272	00	42	75
	589/272	00	01	47
	590/272	00	38	97
	271	00	42	87
	Total	05	37	33
NANDIYA	645	00	03	59
	644	00	06	85
	642	00	16	48
	641	00	66	44

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	608	00	01	62
	133	00	30	34
	134	00	03	64
	132	00	12	67
	136	00	07	21
	130	00	38	17
	125	00	08	42
	123/1162	00	18	96
	108 1438/108	00	61	00
	109	00	16	23
	107	00	46	26
	1276/112	00	20	24
	1281/106	00	18	93
	1274/99	00	29	79
	99	00	38	13
	Total	04	44	97
SOBRAWAS	583	00	08	51
	584	00	10	61
	585	00	12	26
	586	00	13	58
	587	00	13	16
	588	00	12	25
	589	00	14	74
	590	00	10	41
	591	00	09	00
	592	00	07	56
	579	00	08	57
	578	00	08	05
	593	00	09	58
	577	00	12	19
	576	00	12	16
	598	00	07	59
	575	00	12	90
	574	00	13	23
	573	00	18	21
	572	00	15	85
	571	00	17	14
	538	00	13	59
	564	00	02	43
	570	00	03	55
	537	00	50	53
	533	00	04	22
	530	00	22	23
	529	00	11	30
	528	00	12	97

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	527	00	16	34
	525	00	23	22
	523	00	13	51
	522	00	17	09
	518	00	16	42
	520	00	03	63
	519	00	08	49
	515	00	01	73
	511	00	11	91
	512	00	69	36
	461	00	03	78
	445	00	12	83
	444	00	05	07
	438	00	16	05
	440	00	17	42
	435	00	26	72
	434	00	20	26
	452	00	20	74
	431	00	00	20
	426	00	09	83
	425	00	10	36
	421	00	19	80
	423	00	17	54
	417	00	00	88
	415	00	02	46
	411	00	13	54
	413	00	01	94
	409	00	69	90
	404	00	02	59
	1	00	12	71
	3	00	15	51
	Total	08	50	20
BIJALIYA	448	00	20	50
	447	00	43	94
	444	00	08	00
	445	00	27	29
	450	00	20	90
	451	00	52	24
	575/574	00	00	20
	577/576	00	19	66
	432	00	01	09
	398	00	56	90
	401	00	53	07
	405	00	73	11
	403	00	03	57
	364	00	01	34

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	360	00	24	46
	358	00	16	36
	347	00	05	99
	163	00	76	45
	160	00	08	20
	164	00	02	74
	159	00	38	02
	567/159	00	19	46
	195	00	08	40
	155	00	21	01
	154	00	13	53
	153	00	12	18
	152	00	10	93
	Total	06	39	54
MAIYA KI DHANI	470	00	36	46
	1053/468	00	01	05
	469	00	23	16
	464	00	17	64
	465	00	22	04
	461	00	10	99
	1036/466	00	18	06
	980/466	00	01	29
	1037/466	00	01	26
	1113/457	00	00	22
	1114/457	00	02	31
	460	00	08	16
	978/460	00	02	58
	458	00	08	61
	970/458	00	02	57
	361	00	11	43
	1068/362	00	15	38
	1069/362	00	01	02
	363	00	08	83
	364	00	08	55
	365	00	14	00
	366	00	14	64
	368	00	14	32
	1093/369	00	45	99
	370	00	25	29
	425	00	01	54
	424	00	08	86
	981/424	00	06	33
	371	00	00	10
	423	00	10	84
	422	00	11	13
	421	00	10	83
	416	00	18	04
	417	00	10	51

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	1076/404	00	07	93
	1077/404	00	20	70
	19	00	01	32
	20	00	06	15
	22	00	00	30
	21	00	18	83
	12	00	12	41
	27	00	16	67
	28	00	20	78
	29	00	34	80
	992/29	00	01	24
	31	00	29	61
	38	00	77	33
	9	00	00	80
	8	00	20	83
	5	00	22	25
	1	00	51	91
	Total	07	37	89

[F. No. L-14014/53/2021-GP-II (E-42411)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

का.आ. 2263(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4341(अ) दिनांक 02 सितम्बर 2021 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3991 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील— सायला, जिला— जालौर की भूमि में राजस्थान राज्य में HRRL स्पर लाइन के अन्तर्गत मेहसाना—भटिण्डा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के (SV-01) जालौर से HRRL रिफाइनरी, बाड़मेर तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें “MBPL (SV-01) जालौर से HRRL स्पर लाइन परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 08 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील - सायला

जिला- जालौर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खारी	633/483	00	00	95
	630/483	00	21	10
	480	00	06	01
	131	00	01	28
	171	00	20	94
	169	00	29	45
	576/169	00	40	53
	575/169	00	16	67
	574/169	00	26	13
	160	00	08	70
	161	00	10	33
	157	00	33	98
	156	00	18	22
	156/532	00	01	84
	154	00	01	01
	150	00	42	08
	140	00	00	27
	139	00	25	32
	138	00	08	29
	137	00	07	38
	136	00	01	35
	35	00	01	17
	34	00	05	07
	31	00	02	70
	29	00	40	78
	565/28	00	38	48
	22	00	14	92
	18	00	00	13
	कुल	04	25	08

[फा. सं. एल-14014/53/2021-जीपी-II (ई-42411)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2263(E).—Whereas by the notification S.O. No. 4341(E) dated 02.09.2021 of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 3991 dated 20.10.2021, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Sayla, District Jalore in Rajasthan State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas from SV Station (Jalore) of Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network to HRRL Refinery (Barmer), a pipeline namely HRRL Refinery Spur Line should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL).

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 08.02.21

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) free from all encumbrances.

GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL -SAYALA		DISTRICT-JALORE		STATE- RAJASTHAN	
Name of Village	Survey No.	Area			
		Hectare	Are	Sqm.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
KHARI	633/483	00	00	95	
	630/483	00	21	10	
	480	00	06	01	
	131	00	01	28	
	171	00	20	94	
	169	00	29	45	
	576/169	00	40	53	
	575/169	00	16	67	
	574/169	00	26	13	
	160	00	08	70	
	161	00	10	33	
	157	00	33	98	
	156	00	18	22	
	156/532	00	01	84	
	154	00	01	01	
	150	00	42	08	

	140	00	00	27
	139	00	25	32
	138	00	08	29
	137	00	07	38
	136	00	01	35
	35	00	01	17
	34	00	05	07
	31	00	02	70
	29	00	40	78
	565/28	00	38	48
	22	00	14	92
	18	00	00	13
	Total	04	25	08

[F. No. L-14014/53/2021-GP-II (E-42411)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

का.आ. 2264(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4341(अ) दिनांक 02 सितम्बर 2021 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3991 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील—गुडा मालानी, जिला— बाड़मेर की भूमि में राजस्थान राज्य में HRRL स्पर लाइन के अन्तर्गत मेहसाना—भटिण्डा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के (SV-01) जालौर से HRRL रिफाइनरी, बाड़मेर तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें “MBPL (SV-01) जालौर से HRRL स्पर लाइन परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 08 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-गुडा मालानी

जिला-बाड़मेर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लक्ष्मी नगर	1259	00	02	36
	1258	00	19	62
	1256	00	42	31
	कुल	00	64	29
राजेश्वर नगर	1030	00	42	12
	1029	00	49	07
	1028	00	48	50
	1027	00	36	32
	1021	00	27	57
	1020	00	25	09
	1019	00	13	30
	1018	00	24	53
	1016	00	13	97
	1015	00	42	64
	कुल	03	23	11

[फा. सं. एल-14014/53/2021-जीपी-II (ई-42411)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2264(E).—Whereas by the notification S.O. No. 4341(E) dated 02.09.2021 of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 3991 dated 20.10.2021, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Guda Malani, District Barmer in Rajasthan State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas from SV Station (Jalore) of Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network to HRRL Refinery (Barmer), a pipeline namely HRRL Refinery Spur Line should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL).

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 08.02.21

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) free from all encumbrances.

GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL -GUDA MALANI		DISTRICT-BARMER		STATE- RAJASTHAN
Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LAXMI NAGAR	1259	00	02	36
	1258	00	19	62
	1256	00	42	31
	Total	00	64	29
RAJESHVAR NAGAR	1030	00	42	12
	1029	00	49	07
	1028	00	48	50
	1027	00	36	32
	1021	00	27	57
	1020	00	25	09
	1019	00	13	30
	1018	00	24	53
	1016	00	13	97
	1015	00	42	64
	Total	03	23	11

[F. No. L-14014/53/2021-GP-II (E-42411)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

का.आ. 2265(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4341(अ) दिनांक 02 सितम्बर 2021 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3991 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील—सिणधरी, जिला— बाड़मेर की भूमि में राजस्थान राज्य में HRRL स्पर लाइन के अन्तर्गत मेहसाना—भटिण्डा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के (SV-01) जालौर से HRRL रिफाइनरी, बाड़मेर तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें “MBPL (SV-01) जालौर से HRRL स्पर लाइन परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थीं

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 08 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-सिंगघरी

जिला-बाड़मेर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बांतावास	140	00	18	74
	205/141	00	01	33
	कुल	00	20	07
सिद्ध श्रीजसनाथनगर	141	00	11	63
	142	00	01	23
	155	01	01	46
	156	00	03	15
	157	00	25	24
	कुल	01	42	71
लूणाकलां	222	00	15	43
	222/1	00	36	07
	222/2	00	01	67
	222/5	00	02	08
	220	00	19	42
	226	00	11	15
	226/3	00	01	59
	224	00	53	78
	205/1	00	33	40
	205/3	00	13	14
	79/2	00	13	00
	84	00	01	34

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	86/1	00	04	07
	85/1	00	22	41
	103	00	14	28
	96	00	21	09
	96/1	00	08	95
	99	00	23	33
	107	00	10	24
	264/114	00	11	54
	265/114	00	35	01
	266/114	00	05	98
	63	00	22	39
	112/2	00	45	21
	109	00	00	82
	111	00	50	92
	62	00	04	16
	61	00	29	29
	कुल	05	11	76
गालानाडी	192	00	00	87
	191	00	53	93
	190	00	01	40
	189	00	29	42
	183	00	24	70
	184	00	50	65
	187	00	53	41
	166	00	01	63
	164	00	38	74
	162	00	02	55
	158/1	00	02	51
	158	00	63	84
	159	00	11	57
	कुल	03	35	22
अरणियाली महेचान	90/2	00	02	41
	78	00	02	01
	77/3	00	13	94
	77/2	00	14	18
	77/1	00	09	34
	77	00	03	34
	75/1	00	21	09
	75	00	15	17
	57	00	01	52
	53/2	00	11	26
	52	00	13	36
	37	00	13	49

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	36	00	29	60
	35	00	16	50
	24	00	02	77
	33	00	06	02
	25	00	17	09
	25/1	00	15	75
	26	00	21	79
	27/1	00	06	91
	27	00	09	35
	28	00	17	59
	29	00	13	57
	30	00	18	45
	कुल	02	96	50
महादेव नगर	861/221	00	37	94
	211	00	01	16
	862/236	00	09	97
	238	00	32	99
	242	00	10	27
	243	00	01	05
	244	00	08	80
	246	00	13	65
	248	00	35	76
	245	00	00	98
	249	00	01	58
	250	00	37	88
	254	00	05	56
	255	00	22	00
	255/1	00	03	11
	261	00	00	77
	कुल	02	23	47
चाडो की ढाणी	263/1	00	02	60
	263	00	07	97
	858/254	00	07	40
	364	00	20	19
	264	00	44	08
	कुल	00	82	24
सजाडा	269	00	12	80
	265	00	01	38
	266	00	26	75
	359/2	00	14	47
	359/1	00	21	49
	359	00	31	06
	357	00	04	28

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	356	00	21	93
	377	00	01	52
	396/1	00	38	83
	400	00	62	48
	398	00	02	40
	399	00	06	27
	409	00	43	37
	409/1	00	11	14
	428	00	46	63
	429	00	16	59
	423	00	27	71
	कुल	03	91	10
खारा महेचान	529	00	22	43
	528	00	02	97
	522	00	17	56
	519	00	03	51
	523	00	21	91
	516	00	01	53
	515	00	04	35
	493	00	80	92
	477	00	18	21
	844/473	00	22	56
	473/1	00	06	43
	473	00	14	42
	470/1	00	12	63
	470/6	00	01	43
	470	00	52	93
	451/1	00	39	27
	451/2	00	21	32
	451/3	00	29	66
	453/1	00	20	87
	853/453	00	19	44
	852/453	00	25	56
	455/2	00	08	56
	831/442	00	68	64
	830/442	00	81	91
	443	00	61	16
	423	00	15	44
	421	00	58	47
	418	00	00	96
	419	00	64	82
	411	00	09	58
	कुल	08	09	45

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
बामणी	116	00	60	29
	120	00	18	27
	120/1	00	20	72
	119	00	32	67
	119/4	00	02	60
	119/1	00	05	52
	102	00	01	09
	58	00	17	29
	59	00	11	25
	66/2	00	56	19
	55	00	69	51
	73	00	48	85
	73/1	00	00	72
	74/8	00	02	26
	42	00	05	71
	39	00	28	43
	40	00	07	50
	36	00	25	97
	28	00	78	06
	30	00	34	43
	22/1	00	13	08
	22/2	00	16	35
	22	00	19	10
	20	00	72	53
	17	00	58	97
	164	00	01	72
	185	00	07	43
	186/4	00	09	01
	186/3	00	09	22
	186/2	00	08	11
	186/1	00	08	05
	186	00	06	41
	कुल	07	57	31
दण्ड	24	00	51	36
	45	00	34	84
	25	00	54	37
	30	00	24	85
	29	00	08	55
	215/32	00	52	36
	216/32	00	49	34
	कुल	02	75	67
लोहिडी	777/1	00	31	13
	778	00	83	12

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	779	00	02	53
	783	00	01	23
	787	00	30	00
	786	00	09	93
	791	00	96	20
	792	00	75	72
	795	00	01	17
	796	00	40	28
	797	00	49	46
	907	00	27	06
	817	00	86	41
	818	00	20	73
	819	00	26	68
	820	00	87	63
	826	00	72	05
	826/1	00	05	77
	826/2	00	04	24
	834/1	00	52	51
	835	00	38	57
	कुल	08	42	42
शाहनगर	836	00	10	22
	858	00	15	97
	837/4	00	05	17
	837/5	00	16	42
	837/3	00	11	59
	837	00	02	82
	839	00	34	35
	840	00	01	06
	854	00	41	82
	842	00	25	50
	844	00	56	70
	844/2	00	65	83
	440	00	02	13
	कुल	02	89	58
कालूओणी डूडियो की ढाणी	572/439	00	17	30
	573/439	00	04	29
	434	00	19	97
	216	00	33	47
	432	00	00	70
	217	00	74	86
	219	00	01	68
	210	00	30	26
	208	00	51	08

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	682/207	00	28	29
	207	00	17	86
	643/207	00	01	06
	204	00	03	15
	259	00	01	32
	165	00	08	18
	459/163	00	17	64
	163	00	69	68
	457/163	00	23	62
	164	00	59	47
	453/157	00	43	28
	452/157	00	40	43
	157	00	10	69
	कुल	05	58	28
देरासरनगर	155	00	63	16
	149	00	17	23
	152	00	70	13
	116	00	22	59
	120	00	93	96
	121	00	62	85
	122	00	44	71
	615/126	00	31	94
	619/126	00	24	98
	617/126	00	00	52
	127	00	02	49
	कुल	04	34	56
डेरपाना	110	00	16	38
	109	00	02	52
	109/2	00	31	56
	108	00	56	00
	104	00	64	08
	105	00	30	83
	66	00	03	95
	65/1	00	16	00
	कुल	02	21	32

[फा. सं. एल-14014/53/2021-जीपी-II (ई-42411)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2265(E).—Whereas by the notification S.O. No. 4341(E) dated 02.09.2021 of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 3991 dated 20.10.2021, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Sindhari, District Barmer in Rajasthan State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas from SV Station (Jalore) of Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network to HRRL Refinery (Barmer), a pipeline namely HRRL Refinery Spur Line should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL).

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 08.02.21

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) free from all encumbrances.

GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL -SINDHARI****DISTRICT-BARMER****STATE- RAJASTHAN**

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BANTAWAS	140	00	18	74
	205/141	00	01	33
	Total	00	20	07
SIDH SHRI JASNATH NAGAR	141	00	11	63
	142	00	01	23
	155	01	01	46
	156	00	03	15
	157	00	25	24
	Total	01	42	71
LOONA KALAN	222	00	15	43
	222/1	00	36	07
	222/2	00	01	67
	222/5	00	02	08
	220	00	19	42
	226	00	11	15

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	226/3	00	01	59
	224	00	53	78
	205/1	00	33	40
	205/3	00	13	14
	79/2	00	13	00
	84	00	01	34
	86/1	00	04	07
	85/1	00	22	41
	103	00	14	28
	96	00	21	09
	96/1	00	08	95
	99	00	23	33
	107	00	10	24
	264/114	00	11	54
	265/114	00	35	01
	266/114	00	05	98
	63	00	22	39
	112/2	00	45	21
	109	00	00	82
	111	00	50	92
	62	00	04	16
	61	00	29	29
	Total	05	11	76
GALANADI	192	00	00	87
	191	00	53	93
	190	00	01	40
	189	00	29	42
	183	00	24	70
	184	00	50	65
	187	00	53	41
	166	00	01	63
	164	00	38	74
	162	00	02	55
	158/1	00	02	51
	158	00	63	84
	159	00	11	57
	Total	03	35	22
ARNIYALI MAHECHAN	90/2	00	02	41
	78	00	02	01
	77/3	00	13	94
	77/2	00	14	18
	77/1	00	09	34
	77	00	03	34
	75/1	00	21	09
	75	00	15	17
	57	00	01	52

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	53/2	00	11	26
	52	00	13	36
	37	00	13	49
	36	00	29	60
	35	00	16	50
	24	00	02	77
	33	00	06	02
	25	00	17	09
	25/1	00	15	75
	26	00	21	79
	27/1	00	06	91
	27	00	09	35
	28	00	17	59
	29	00	13	57
	30	00	18	45
	Total	02	96	50
MAHADEV NAGAR	861/221	00	37	94
	211	00	01	16
	862/236	00	09	97
	238	00	32	99
	242	00	10	27
	243	00	01	05
	244	00	08	80
	246	00	13	65
	248	00	35	76
	245	00	00	98
	249	00	01	58
	250	00	37	88
	254	00	05	56
	255	00	22	00
	255/1	00	03	11
	261	00	00	77
	Total	02	23	47
CHADO KI DHANI	263/1	00	02	60
	263	00	07	97
	858/254	00	07	40
	364	00	20	19
	264	00	44	08
	Total	00	82	24
SAJADA	269	00	12	80
	265	00	01	38
	266	00	26	75
	359/2	00	14	47
	359/1	00	21	49
	359	00	31	06
	357	00	04	28

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	356	00	21	93
	377	00	01	52
	396/1	00	38	83
	400	00	62	48
	398	00	02	40
	399	00	06	27
	409	00	43	37
	409/1	00	11	14
	428	00	46	63
	429	00	16	59
	423	00	27	71
	Total	03	91	10
KHARA MAHECHAN	529	00	22	43
	528	00	02	97
	522	00	17	56
	519	00	03	51
	523	00	21	91
	516	00	01	53
	515	00	04	35
	493	00	80	92
	477	00	18	21
	844/473	00	22	56
	473/1	00	06	43
	473	00	14	42
	470/1	00	12	63
	470/6	00	01	43
	470	00	52	93
	451/1	00	39	27
	451/2	00	21	32
	451/3	00	29	66
	453/1	00	20	87
	853/453	00	19	44
	852/453	00	25	56
	455/2	00	08	56
	831/442	00	68	64
	830/442	00	81	91
	443	00	61	16
	423	00	15	44
	421	00	58	47
	418	00	00	96
	419	00	64	82
	411	00	09	58
	Total	08	09	45

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
BAMANI	116	00	60	29
	120	00	18	27
	120/1	00	20	72
	119	00	32	67
	119/4	00	02	60
	119/1	00	05	52
	102	00	01	09
	58	00	17	29
	59	00	11	25
	66/2	00	56	19
	55	00	69	51
	73	00	48	85
	73/1	00	00	72
	74/8	00	02	26
	42	00	05	71
	39	00	28	43
	40	00	07	50
	36	00	25	97
	28	00	78	06
	30	00	34	43
	22/1	00	13	08
	22/2	00	16	35
	22	00	19	10
	20	00	72	53
	17	00	58	97
	164	00	01	72
	185	00	07	43
	186/4	00	09	01
	186/3	00	09	22
	186/2	00	08	11
	186/1	00	08	05
	186	00	06	41
	Total	07	57	31
DAND	24	00	51	36
	45	00	34	84
	25	00	54	37
	30	00	24	85
	29	00	08	55
	215/32	00	52	36
	216/32	00	49	34
	Total	02	75	67
LOHIDI	777/1	00	31	13
	778	00	83	12
	779	00	02	53
	783	00	01	23
	787	00	30	00

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	786	00	09	93
	791	00	96	20
	792	00	75	72
	795	00	01	17
	796	00	40	28
	797	00	49	46
	907	00	27	06
	817	00	86	41
	818	00	20	73
	819	00	26	68
	820	00	87	63
	826	00	72	05
	826/1	00	05	77
	826/2	00	04	24
	834/1	00	52	51
	835	00	38	57
	Total	08	42	42
SHAH NAGAR	836	00	10	22
	858	00	15	97
	837/4	00	05	17
	837/5	00	16	42
	837/3	00	11	59
	837	00	02	82
	839	00	34	35
	840	00	01	06
	854	00	41	82
	842	00	25	50
	844	00	56	70
	844/2	00	65	83
	440	00	02	13
	Total	02	89	58
KALUONI DUDIYO KI DHANI	572/439	00	17	30
	573/439	00	04	29
	434	00	19	97
	216	00	33	47
	432	00	00	70
	217	00	74	86
	219	00	01	68
	210	00	30	26
	208	00	51	08
	682/207	00	28	29
	207	00	17	86
	643/207	00	01	06
	204	00	03	15
	259	00	01	32
	165	00	08	18

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	459/163	00	17	64
	163	00	69	68
	457/163	00	23	62
	164	00	59	47
	453/157	00	43	28
	452/157	00	40	43
	157	00	10	69
	Total	05	58	28
DERASAR NAGAR	155	00	63	16
	149	00	17	23
	152	00	70	13
	116	00	22	59
	120	00	93	96
	121	00	62	85
	122	00	44	71
	615/126	00	31	94
	619/126	00	24	98
	617/126	00	00	52
	127	00	02	49
	Total	04	34	56
DERPANA	110	00	16	38
	109	00	02	52
	109/2	00	31	56
	108	00	56	00
	104	00	64	08
	105	00	30	83
	66	00	03	95
	65/1	00	16	00
	Total	02	21	32

[F. No. L-14014/53/2021-GP-II (E-42411)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

का.आ. 2266(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4342(अ) दिनांक 03 सितम्बर 2021 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3992 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील— पचपदरा, जिला— बाड़मेर की भूमि में राजस्थान राज्य में HRRL स्पर लाइन के अन्तर्गत मेहसाना—भटिण्डा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के (SV-01) जालौर से HRRL रिफाइनरी, बाड़मेर तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें “MBPL (SV-01) जालौर से HRRL स्पर लाइन परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 08 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-पचपदरा

जिला-बाड़मेर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कालूड़ी	279/11	00	59	54
	160/11	00	29	82
	159/11	00	44	36
	15	00	82	68
	322/17	00	71	70
	321/17	00	71	52
	292/21	01	44	81
	कुल	05	04	43
कितपाला	306	00	36	71
	309	00	02	36
	308	00	74	57
	523/340	00	02	45
	580/444	00	04	55
	443	00	82	14
	568/436	00	83	64
	569/436	00	03	14
	570/436	00	09	86
	434	00	41	20
	565/433	00	22	63
	566/433	00	08	47
	430	00	43	38

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	431	00	50	10
	426	00	01	14
	422	00	46	60
	421	00	13	86
	कुल	05	26	80
सिमालिया	400/183	00	23	20
	401/183	00	12	29
	180	00	30	40
	181	00	03	65
	176	00	00	43
	399/175	00	39	91
	397/175	00	21	10
	395/174	00	37	29
	396/174	00	08	09
	363/117	00	16	11
	362/117	00	15	20
	360/117	00	02	75
	361/117	00	34	04
	121	00	02	96
	338/96	00	36	42
	340/99	00	16	31
	341/99	00	33	14
	349/105	00	28	47
	347/105	00	42	03
	344/104	00	25	34
	342/103	00	21	09
	65	00	32	17
	66	00	31	63
	309/67	00	11	24
	308/67	00	14	10
	452/67	00	12	00
	310/67	00	12	88
	311/69	00	10	77
	312/69	00	20	07
	313/69	00	19	08
	68	00	35	80
	315/69	00	11	78
	316/69	00	13	49
	317/69	00	22	00
	70	00	15	06
	71	00	46	66
	320/72	00	38	85
	73	00	39	19

गांव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	74	00	27	84
	294/55	00	10	10
	कुल	08	74	93
वरिया तगजी	23	00	53	50
	19	00	27	01
	558/18	00	08	00
	560/18	00	36	93
	561/18	00	00	41
	17	00	04	48
	504/21	00	15	07
	505/21	00	50	39
	319/8	00	55	31
	573/6	00	35	74
	574/6	00	01	33
	571/6	00	31	75
	572/6	00	48	93
	514/2	00	05	72
	476/2	00	02	33
	474/2	00	81	71
	472/2	00	10	92
	494/2	00	08	78
	512/2	00	32	50
	1	00	38	44
	484/1	00	62	20
	कुल	06	11	45
वरिया वरेचा	288/35	00	16	20
	34	00	16	23
	36	00	27	32
	182/37	00	12	11
	183/37	00	12	38
	25	00	04	09
	300/4	00	20	05
	181/10	00	26	08
	180/10	00	08	25
	9	00	19	17
	274/8	00	22	04
	275/8	00	32	64
	276/8	00	32	39
	कुल	02	48	95

[फा. सं. एल-14014/53/2021-जीपी-II (ई-42411)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2266(E).—Whereas by the notification S.O. No. 4342(E) dated 03.09.2021 of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 3992 dated 20.10.2021, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Pachpadra, District Barmer in Rajasthan State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas from SV Station (Jalore) of Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network to HRRL Refinery (Barmer), a pipeline namely HRRL Refinery Spur Line should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL).

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 08.02.21

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) free from all encumbrances.

GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL -PACHPADRA		DISTRICT-BARMER		STATE- RAJASTHAN	
Name of Village	Survey No.	Area			
		Hectare	Are	Sqm.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
KALOORI	279/11	00	59	54	
	160/11	00	29	82	
	159/11	00	44	36	
	15	00	82	68	
	322/17	00	71	70	
	321/17	00	71	52	
	292/21	01	44	81	
	Total	05	04	43	
KITPALA	306	00	36	71	
	309	00	02	36	
	308	00	74	57	
	523/340	00	02	45	
	580/444	00	04	55	
	443	00	82	14	

	568/436	00	83	64
	569/436	00	03	14
	570/436	00	09	86
	434	00	41	20
	565/433	00	22	63
	566/433	00	08	47
	430	00	43	38
	431	00	50	10
	426	00	01	14
	422	00	46	60
	421	00	13	86
	Total	05	26	80
SIMALIYA	400/183	00	23	20
	401/183	00	12	29
	180	00	30	40
	181	00	03	65
	176	00	00	43
	399/175	00	39	91
	397/175	00	21	10
	395/174	00	37	29
	396/174	00	08	09
	363/117	00	16	11
	362/117	00	15	20
	360/117	00	02	75
	361/117	00	34	04
	121	00	02	96
	338/96	00	36	42
	340/99	00	16	31
	341/99	00	33	14
	349/105	00	28	47
	347/105	00	42	03
	344/104	00	25	34
	342/103	00	21	09
	65	00	32	17
	66	00	31	63
	309/67	00	11	24
	308/67	00	14	10
	452/67	00	12	00
	310/67	00	12	88
	311/69	00	10	77
	312/69	00	20	07
	313/69	00	19	08
	68	00	35	80
	315/69	00	11	78
	316/69	00	13	49
	317/69	00	22	00
	70	00	15	06
	71	00	46	66

	320/72	00	38	85
	73	00	39	19
	74	00	27	84
	294/55	00	10	10
	Total	08	74	93
VARIYA TAGJI	23	00	53	50
	19	00	27	01
	558/18	00	08	00
	560/18	00	36	93
	561/18	00	00	41
	17	00	04	48
	504/21	00	15	07
	505/21	00	50	39
	319/8	00	55	31
	573/6	00	35	74
	574/6	00	01	33
	571/6	00	31	75
	572/6	00	48	93
	514/2	00	05	72
	476/2	00	02	33
	474/2	00	81	71
	472/2	00	10	92
	494/2	00	08	78
	512/2	00	32	50
	1	00	38	44
	484/1	00	62	20
	Total	06	11	45
VARIYA VARECHA	288/35	00	16	20
	34	00	16	23
	36	00	27	32
	182/37	00	12	11
	183/37	00	12	38
	25	00	04	09
	300/4	00	20	05
	181/10	00	26	08
	180/10	00	08	25
	9	00	19	17
	274/8	00	22	04
	275/8	00	32	64
	276/8	00	32	39
	Total	02	48	95

[F. No. L-14014/53/2021-GP-II (E-42411)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.